संख्या-21/2015/953/35-3-2015-1(22) /2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत डोमा खास से धोबनिया घाट तक जाने वाले मार्ग पर 3x5 मी. स्पान की आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण की स्वीकृत परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2566/ बी.ए.डी.पी./ 2014-15 दिनांक: 16 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज में शासनादेश संख्या- 893 /35-3-2014 दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 के द्वारा **डोमा खास से धोबनिया घाट तक जाने वाले मार्ग पर** 3x5 मी. **स्पान की आर.सी.सी. पुलिया** के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू. 45.85 लाख को पुनरीक्षित कर रू. 126.60 लाख किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1-सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं तथा इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

2- जनपद के पास उपलब्ध धनराशि का उपयोग वर्ष 2015-16 मे किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि हेतु आगामी वार्षिक कार्य योजना 2016-17 मे प्रावधान कराया जायेगा।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2015/953(1)/35-3-2015-1(22) /2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।